न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 19/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 09.09.2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/158

वादीगण :—

1. भंवरलाल पुत्र चुतराराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी झुंठा तहसील रायपुर
2. जोगाराम पुत्र डावरराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी आकेली तहसील रायपुर जरिये आम मुख्तीयार वादी सं.1 भंवरलाल पुत्र चुतराराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी झुंठा तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. नरेन्द्र पुत्र लाबुराम वयस्क
2. भंवरलाल पुत्र लाबुराम नाऔलाद अविवाहित फौत होने से उनके विधिक वारिसान
   2/1. मुगनाई पत्नी लाबुराम वयस्क
   2/2. सीता पुत्री लाबुराम वयस्क
   2/3. धाराराम पुत्र लाबुराम फौत होने से उनके विधिक वारिसान
   2/3/1. हरिश पुत्र धाराराम वयस्क
   2/3/2 सुगन पुत्र धाराराम नाबालिग
   2/3/3. पुजा पुत्री धाराराम नाबालिग
   सुगन व पुजा नाबालिग होने से उनकी कुदरती वली माता गीतादेवी पत्नी धाराराम
   2/3/4. गीतादेवी पत्नी धाराराम वयस्क
   समस्त जातियान जाट निवासीगण झुंठा तहसील रायपुर
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर (राज.)
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय,

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री फिरोज खान एवं श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण संख्या 2/3/3 तथा 2/3/4 की ओर से श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः 22.12.2025

वादी की ओर से वकील श्री फिरोज खान द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि मौजा ग्राम झुंठा पटवार क्षेत्र झुंठा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिपलियाकलां के खसरा नंबर 103 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है तथा उपरोक्त आराजियात में वादीगण काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजियात राजस्व अभिलेखों में वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही है। जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 से प्रमाणित है। इस प्रकार वादीगण उपरोक्त आराजियात का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है।

वादीगण भी राजस्व अभिलेखों में वर्णितानुसार अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जा अनुसार अलग अलग हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण अपने हिस्से में आई आराजियात में संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त, हित, अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग अनवरत रूप से सभी प्रतिवादीगण की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

उपरोक्त वर्णित आराजियात आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है। उपरोक्त आराजीयात का मौके पर अलग अलग बंटवाडा हो रखा है परन्तु आज दिवस तक राजस्व रेकर्ड में कोई बंटवाडा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से आये दिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होते रहते है। इस कारण वादीगण उक्त आराजियात को संयुक्त नहीं रखना चाहते है तथा उक्त आराजियात का बंटवाडा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा समय समय पर अपने हक हिस्से की आराजियात में काफी समय, श्रम एवं धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बीज डालकर उन्हे समतल कराकर काश्त योग्य बनाया तथा उसमे काफी विकास एवं विस्तार किया है जिसकी वजह से उक्त आराजियात काफी उन्नत, उपजाऊ एवं कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो से जमीन जायदादों की कीमतों मे हो रही बेशुमार वृद्धि की वजह से भी उक्त आराजियात की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है तथा उक्त आराजियात और अधिक कीमती हो चुकी है।

उपरोक्त आराजियात की कीमतों में हो रही बेशुमार वृद्धि की वजह से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के वारिसान की नियत खराब हो चुकी है तथा वे अब येनकेन प्रकारेण वादीगण के हक हिस्से की आराजियात को हडपने, उस पर कब्जा करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते हुए उसे बेदखल करने तथा उसे बिना बंटवाडा करवाये अन्य को बेचान करते हुए अन्य को काबिज करवाने तथा तोडफोड एवं निर्माण करते हुए उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देने पर आमादा है। जबकि कानूनन भी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के वारिसान को वादीगण के हक हिस्से की आराजियात मे किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है। इस बाबत् प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के वारिसान समझाने के बावजूद अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे है तथा इसी बदनियतिवश वादीगण के बार बार निवेदन करने के बावजूद उन्होने आज दिवस तक उक्त आराजियात का विभाजन नहीं करवाया है तथा लगातार टालमटोल करते हुए टालते ही चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान दिनांक 05/09/2021 को वादग्रस्त आराजियात पर आये तथा वादीगण को धमकाने लगे कि वादीगण इस जमीन से दो चार दिन में अपना कब्जा हटा लेवे, हम इस पर अपना कब्जा करेंगे। इस पर वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त आराजियात में उसका भी हक हिस्सा विद्यमान चला आ रहा है। आप उसमे दखलअंदाजी नहीं कर सकते है। इस पर प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान ने धमकी दी कि इस पूरी जमीन पर हमारी नजर है। इसलिये हम इस पर कब्जा करके ही रहेंगे। हमे कोई रोक नहीं सकता है। वादीगण के समझाने पर भी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान नहीं मान रहे है। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान के विरूद्ध वाद मे वर्णित आराजियात के बंटवाडे की डिक्री पारित फरमाई जाकर उक्त आराजियात का मौके पर पक्षकारान के कब्जानुसार बंटवाडा करवाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजियात में राजस्व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अभिलेखों में वर्णितानुसार वादीगण का हिस्सा अलग किया जाकर वादीगण को बंटवाड़े के अनुसरण में उसके हिस्से मे आई आराजियात का मौके पर भी कब्जा दिलाया जावे तथा अलग खाता कायम करवाया जावे तथा अलग से लगान तय किया जावे तथा अलग से पासबुक जारी कर मौके पर अलग पाल डोल कायम करवाई जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड भी दुरूस्त करवाया जावे तथा राजस्व मानचित्र तरमीम करवाया जावे तथा इस हेतु प्रतिवादी नंबर 3 को तहरीर जारी की जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विधिक वारिसान स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूरी, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात मे वादीगण के हक हिस्से में ना तो आवे, ना ही उसमे चले आ रहें वादीगण के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न करे, ना ही उसमे किसी तरह का कोई दखल व/या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कब्जा करे, ना ही वादीगण को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही बेदखल करे, ना ही कब्जा करने/कराने का प्रयास करे, ना ही उसमे वादीगण को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने/प्राप्त करने से रोके, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण, रद्दोबदल, कारस्तागीरात आदि ही करे, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करे, ना ही उसमे कोई नुकसान पहुंचावे, ना ही उक्त भूमियों अथवा उसके किसी भाग को बिना बंटवाडा करवाये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करे, ना ही बेचान करे, ना ही बेचान का इकरार करे, ना ही कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त करे, ना ही बेचान बाबत किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख निष्पादित करे, ना ही उसे पंजीकृत करावे, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों मे काबिज करवाने का प्रयास करे, ना ही किसी अन्य के नाम कोई नामांतरकरण करवावें तथा ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीगण द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2/3/3 तथा 2/3/4 की ओर से श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश किया, जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 2/1 से 2/2 तथा 2/3/1 के तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता वादपत्र पर अपना जबाव प्रस्तुत नहीं कर प्राथमिक डिक्री करवाने हेतु सहमत हैं। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर अपना साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है एवं प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

डिकी जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये हैं।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/1718 दिनांक 09.07.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं। जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया हैं इस पर उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा झुंठा पटवार क्षैत्र झुंठा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिपलियाकलां के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैं।

क स	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	1. जोगाराम पुत्र डावरराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. आकेली खातेदार 2. भंवरलाल पुत्र चुतराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. कुशालपुरा खातेदार	103/मी1	0.9591	चाही दोयम	20.74
2	1. भंवरलाल पुत्र लाबुराम हिस्सा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. नरेन्द्र पुत्र लाबुराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	103/मी2	0.3197	चाही दोयम	6.91

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र चुतराराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी झुंठा तहसील रायपुर
2. जोगाराम पुत्र डावरराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी आकेली तहसील रायपुर जिला पाली राज. जरिये आम मुख्तीयार वादी सं.1 भंवरलाल पुत्र चुतराराम उम्र वयस्क जाति कुमावत निवासी झुंठा तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नरेन्द्र पुत्र लाबुराम वयस्क
2. भंवरलाल पुत्र लाबुराम नाऔलाद अविवाहित फौत होने से उनके विधिक वारिसान
   2/1. मुगनाई पत्नी लाबुराम वयस्क
   2/2. सीता पुत्री लाबुराम वयस्क
   2/3. धाराराम पुत्र लाबुराम फौत होने से उनके विधिक वारिसान
   2/3/1. हरिश पुत्र धाराराम वयस्क
   2/3/2 सुगन पुत्र धाराराम नाबालिग
   2/3/3. पुजा पुत्री धाराराम नाबालिग
   सुगन व पुजा नाबालिग होने से उनकी कुदरती वली माता गीतादेवी पत्नी धाराराम
   2/3/4. गीतादेवी पत्नी धाराराम वयस्क
   समस्त जातियान जाट निवासीगण झुंठा तहसील रायपुर
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर (राज.)
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय,

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री फिरोज खान वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भवानी सिंह सोलंकी मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि उक्त वादपत्र में सरहद मौजा झुंठा पटवार क्षेत्र झुंठा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिपलियाकलां के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैं।

क स	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	3. जेगाराम पुत्र डावरराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. आकेली खातेदार 4. भंवरलाल पुत्र चुतराराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. कुशालपुरा खातेदार	103/मी1	0.9591	चाही दोयम	20.74
2	3. भंवरलाल पुत्र लाबुराम हिस्सा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. नरेन्द्र पुत्र लाबुराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	103/मी2	0.3197	चाही दोयम	6.91

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नीज....................... ....मुबलिक................ ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .
....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2025 को जारी किया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	—	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	—	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	—	02	00	स्टाम्प हाजरी	—		
स्टाम्प वजह सबूत	—	00	00	मेहनताना वकील पर	—		
मेहनताना वकील	—			खर्चा गवाहान	—		
खर्चा गवाहान	—			फीस कमिश्नर	—		
फीस कमिश्नर	—			बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—			मुतफरिक	—	00	00
मुतफरिक	—	0	00	मीजान		02	00
मीजान		08	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।